कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में दायर अपील संख्या 3162/2019 नवनीत कुमार पाठक, (स्थानान्तरणाधीन प्रधानाचार्य राउमावि गुडलिया, बादीकुई जिला दौसा से राउमावि आंवलखेडा जिला चित्तौडगढ) बनाम निदेशक, माध्यमिक शिक्षा व अन्य प्रकरण में माननीय अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक: 01.11.2019 द्वारा अपीलार्थी को विभाग के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था जिसकी अनुपालना में इस कार्यालय के आदेश क्रमांक: शिविरा–मा./संस्था/अपील/नवनीत पाठक/3162/2019 दिनांक: 27.11.2019 द्वारा श्री नवनीत कुमार पाठक के अभ्यावेदन को विभाग द्वारा खारिज कर दिया गया।

श्री नवनीत कुमार पाठक द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध माननीय अधिकरण के समक्ष एक अन्य अपील संख्या 149/2020 दायर की गई जिसमें माननीय अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक: 03.02.2020 द्वारा अपीलार्थी को समीप के विद्यालयों में 5 रिक्त पद दर्शाते हुए अपना अभ्यावेदन पेश करने और अभ्यावेदन पेश किये जाने की स्थिति में प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा उसे एक आख्यात्मक आदेश जारी करते हुए नवीन पदस्थापन आदेश पारित किये जाने और इसकी सम्यक सूचना अपीलार्थी को प्रदान किये जाने सम्बन्धी आदेश प्रदान किये गए।

माननीय अधिकरण के निर्णय के क्रम में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में स्वयं के पिता के लकवाग्रस्त होने एवं अपीलार्थी के उनके इकलौता पुत्र होने को मद्देनजर रखते हुए अपना समायोजन राबाउमावि सिकन्दरा/राउमावि विशाला/राउमावि आलियापाडा/राउमावि गादरवाडा गुजरान जिला दौसा अथवा राउमावि भजेडा जिला अलवर में प्रधानाचार्य के पद पर किये जाने की मांग की गई।

अपीलार्थी के अभ्यावेदन का माननीय अधिकरण द्वारा पारित निर्णय तथा राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया एवं उनकी मांग पर विचार किया गया। अपीलार्थी राज्य सेवा के अधिकारी हैं और उन्हें राज्य हित/छात्र हित अथवा प्रशासनिक कारणों से राज्य में कहीं पर भी पदस्थापित किया जा सकता है। विभागीय आदेश दिनांक: 29.09.2019 की अनुपालना में अपीलार्थी श्री नवनीत कुमार पाठक द्वारा स्थानान्तरित स्थान पर दिनांक: 05.11.2019 को कार्यग्रहण किया जा चुका है। यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि इच्छित स्थान पर पदस्थापन की मांग अधिकारपूर्वक नहीं की जा सकती। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा भगवानदास मित्तल एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य डब्ल्यू.एल.सी. 2007(2) 276 में प्रतिपादित किया गया है कि दूरी के आधार पर स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता क्योंकि एक लोकसेवक को राज्य में जहां भी पदस्थापित किया गया है, वहां कार्य करना होता है। इससे किसी भी प्रकार के सेवा नियमों या कार्मिक के विधिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं होता।

उपर्युक्त तथ्यों, एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपीलार्थी श्री नवनीत कुमार पाठक, प्रधानाचार्य का अभ्यावेदन एतद् द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है। सम्बन्धित सूचित हो।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा–मा./संस्था/बी–2/अपील/नवनीत पाठक/151/497/2019 **दिनांक: 05.03.2020**

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर/उदयपुर संभाग, जयपुर/उदयपुर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, दौसा/चित्तौडगढ।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक, दौसा/चित्तौडगढ।
6. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
7. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
8. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
9. श्री नवनीत कुमार पाठक, सम्बन्धित प्रधानाचार्य।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)